रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D. (D.)72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 159] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 24, 1980/वैशाख 4, 1902

No. 159] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 24, 1980/VAISAKHA 4, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1980

का० आ० 270 (इ) :— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम, बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) एक सौ इकतालीसवां संशोधन नियम, 1980 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम 1961 में प्रथम अनुसूची में, प्रविष्टि 2 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"2. वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय :

(i) वाणिज्य विभाग

(ii) नागरिक पूर्ति विभाग

(iii) वस्त्र विभाग।" ;

3. उक्त नियमों की द्वितीय अनुसूची में:—

(क) "वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, "ख. नागरिक पूर्ति विभाग" उप शीर्षक और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित उपशीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"ग. वस्त्र विभाग

1. जूट, जूट उत्पाद और हस्तशिल्प और सभी वस्त्रों और ऊनी वस्त्रों, जिनमें हैंडलूम और सिले-सिलाए वस्त्र शामिल हैं, का उत्पादन, वितरण (देश में उपभोग और निर्यात के लिए) और विकास तथा रेशम और सेलुलोसिक वस्तुओं, जिनमें गैर-सेलुलोसिक संश्लिष्ट तन्तु (नायलान, पालियेस्टर, एक्रिलिक, आदि) नहीं हैं, के उत्पादन से संबद्ध उद्योग।

2. वस्त्र आयुक्त।

3. पटसन आयुक्त।

4. जट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड।

5. काटन कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड।

6. अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड।

7. अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड।

8. राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड।

9. रेशम कीट पालन।

10. केन्द्रीय रेशम बोर्ड।

11. हैंडलूम विकास आयुक्त।

12. अहमदाबाद टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद।

13. बम्बई टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, बम्बई।

14. दि सिल्क एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, बम्बई।

15. वि साउथ इंडिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर ।

16. वूल रिसर्च एसोसिएशन, बम्बई ।

17. इंडियन जूट इण्डस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कलकत्ता ।

18. नार्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, नई दिल्ली ।"

(ख) "उद्योग मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, " क. औद्योगिक विकास विभाग" उप शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 6क से 6ट (दोनों समेत), प्रविष्टि 20क से 20ञ (दोनों समेत) और प्रविष्टि 20ट का लोप किया जाएगा ।"

नीलम संजीव रेड्डी,

राष्ट्रपति

[सं० 74/3/18/80-मंत्रि०]

के० सहगल,संयुक्त सचिव,

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 1980

S.O. 270(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and forty first Amendment) Rules, 1980.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the First Schedule, for entry 2, the following entry shall be substituted, namely :—

"2. Ministry of Commerce and Civil Supplies (Vanijya aur Nagrik Poorti Mantralaya)

(i) Department of Commerce (Vanijya Vibhag)

(ii) Department of Civil Supplies (Nagrik Poorti Vibhag)

(iii) Department of Textiles (Vastr Vibhag).";

3. In the Second Schedule to the said rules :—

(a) under the heading "MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES (VANIJYA AUR NAGRIK POORTI MANTRALAYA)", after the sub-heading "B. DEPARTMENT OF CIVIL SUPPLIES (NAGRIK POORTI VIBHAG)" and the entries thereunder, the following sub-heading and entries shall be inserted, namely :—

"C. DEPARTMENT OF TEXTILES (VASTR VIBHAG)

1. Production, distribution (for domestic consumption and exports) and development of jute, jute products, handicrafts and all textiles and woollens, including handlooms and ready-made garments, and industries relating to the production of silk and cellulosic fibres but excluding non-cellulosic synthetic fibres (nylon, polyster, acrylic, etc.).
2. Textile Commissioner.
3. Jute Commissioner.
4. Jute Corporation of India Limited.
5. Cotton Corporation of India Limited.
6. All India Handicrafts Board.
7. All India Handlooms Board.
8. The National Textile Corporation Limited.
9. Sericulture.
10. Central Silk Board.
11. Handloom Development Commissioner.
12. Ahmedabad Textile Industry's Research Association, Ahmedabad.
13. Bombay Textile Research Association, Bombay.
14. The Silk and art Silk Mills' Research Association, Bombay.
15. The South India Textile Research Association, Coimbatore.
16. Wool Research Association, Bombay.
17. Indian Jute Industries Research Association, Calcutta.
18. Northern India Textile Research Association New Delhi.";

(b) under the heading "MINISTRY OF INDUSTRY (UDYOG MANTRALAYA)" under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (AUDYOGIK VIKAS VIBHAG)", entries 6A. to 6K. (both inclusive), entries 20A. to 20F. (both inclusive) and entry 20K. shall be omitted.

N. SANJIVA REDDY, President

[No. 74/3/18/80-Cab.]

K. SAIGAL, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980.